न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–478/2013

निरंजन विश्वास.....वादी

बनाम

चन्द्र विश्वास एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
04.04.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादी की तरफ से एक आवेदन दिनांक 04.02.2025 संबंधित आदेश 13 नियम 01, 02 को दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 04.04.2025 को सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उभयपक्षों को वादी के आवेदन दिनांक 04.02.2025 पर सुना। कार्यालय अभिलेख द्वितीय पाली में आदेश हेतु प्रस्तुत करें। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज **आदेश (ORDER)** अभिलेख कार्यालय से आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।	
पश्चात् **04.04.2025**	वादी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि वादी ने अपने दावे के समर्थन में सूचि के साथ कागजात दाखिल किए है, जो अभिलेख पर उपलब्ध है और जिसे वादी के तरफ से प्रदर्श भी किया गया है। उक्त कागजात में वादी द्वारा मौजा वरवा काला शरणार्थियों का वितरण खतियान बनाम नित्यानंद विश्वास की सच्ची प्रतिलिपी भी दाखिल किया गया था, परन्तु उस सच्ची प्रतिलिपी पर पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं होने के कारण प्रदर्श नहीं हो सका था। लेहाजा, उक्त कागजात को दिनांक 31.01.2025 को बेतिया न्यायालय से पक्का नकल प्राप्त कर दाखिल किया जा रहा है तथा इसके बयनामा दस्तावेज दिनांक 01.09.1997 नित्यानंद विश्वास बनाम आजूल गदी की सच्ची प्रतिलिपी भी दाखिल किया जा रहा है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी द्वारा उक्त कागजात दाखिल करने में जो विलम्ब हुआ है, उसे माफ करते हुए वादी के उक्त कागजात की सच्ची प्रतिलिपि ग्रहण करने	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–478/2013

निरंजन विश्वास.....वादी

बनाम

चन्द्र विश्वास एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 04.04.2025	का आदेश देने की कृपा करें। प्रतिवादीगण द्वारा कोई प्रत्युतर दाखिल नहीं किया गया, लेकिन वादी के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया और वादी के आवेदन को खारिज होने योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है अभिलेख सुनवाई हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद का निपटारा सभी आवश्यक साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए, जिससे वाद की बहुलता को रोका जा सके। वादी के द्वारा दाखिल दस्तावेज वाद से संबंधित होना प्रतीत होता है परंतु वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज विलंब से दाखिल किया गया है फिर भी न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक 04.02.2025 को स्वीकार करते हुए दाखिल दस्तावेज को ग्रहण किया जाता है। आगामी दिनांक 29.05.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–478/2013

निरंजन विश्वास.....वादी

बनाम

चन्द्र विश्वास एवं अन्य.....प्रतिवादीगण